

“हर काम देश के नाम”



रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड़, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Controller General of Defence Accounts,
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010



Phone: 011-25665703 Fax: 011-25674806, 25674821 email: aniii.cgda@nic.in

संख्या प्रशासन/ समन्वय/3012/परिपत्र/जिल्द.IX दिनांक 20.10.2021.

सेवा में,

सभी प्रधान नियंत्रक/ नियंत्रक कार्यालय।
(सी.जी.डी.ए. की वेबसाइट के द्वारा).

विषय: वेबसाइट का अद्यतनीकरण एवम् हाईपर लिंक उपलब्ध करवाना।

श्री अनूप कुमार मेंदीरता, सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग का अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1(5)/2016-वि. सा. प्र. (का.) दिनांक 14 सितंबर 2021 आपकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

2. सभी प्रधान नियंत्रक/ नियंत्रक कार्यालयों से अनुरोध है कि वह अपने संस्थान के पोर्टल पर <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya> का हाईपर-लिंक उपलब्ध करवाएं एवम् विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सांविधानिक अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस जानकारी का सम्बद्ध व्यक्तियों तक प्रचार-प्रसार करें।

(राजीव रंजन कुमार)

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

- 1 सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली, रक्षा लेख महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु स्थानीय.
- 2 प्रशासन (वेतन), स्थानीय. सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(कुमार सत्यप्रिय श्रीवास्तव)
लेखा अधिकारी (प्रशासन)

अनूप कुमार मेंदीरत्ता
सचिव
Anoop Kumar Mendiratta
Secretary



भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

14 सितंबर, 2021

Office of the FA (DS)
Op. No. 3925
Date 28/9/2021

फा. सं. : 1(5)/2016-वि.सा.प्र.(का.)

हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं

महोदय,

विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का एक खंड है। इस प्रकाशन की स्थापना वर्ष 1968 में, विधि के क्षेत्र में, सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए की गई थी। यह प्रकाशन, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीन विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा है, जिनमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पारित प्रतिवेदय (रिपोर्टबल) निर्णयों को हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन, अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ के द्विभाषी संस्करणों, भारत के संविधान, निर्वाचन मैनुअल, विधि शब्दावली और हिंदी में विधि पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए प्रदर्शनी-सह-विक्रय का आयोजन भी करता है। यह प्रकाशन उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं को अपनी वेबसाइट <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya> पर भी होस्ट/अपलोड कर रहा है। यह भारत सरकार का एकमात्र ऐसा संगठन है, जो संविधान की भावना के अनुसार, विधि के क्षेत्र में हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है।

2. विधि साहित्य प्रकाशन ने, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के समारोहों के अवसर पर, यह विनिश्चय किया है कि उसके पोर्टल (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) पर उपलब्ध हिंदी की इन तीन पत्रिकाओं को 75 सप्ताह की अवधि के लिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के समापन तक निःशुल्क रूप से पी.डी.एफ. प्ररूप में उपलब्ध कराया जाए। यह लिंक सभी विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जिला न्यायालयों, विधि संघों, विधि परिषदों और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, देश में सभी स्तरों पर विधिक शिक्षा प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका संवर्धन करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

3. अतः, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने प्रतिष्ठित संस्थान के पोर्टल पर (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) वेबसाइट का हाइपर-लिंक उपलब्ध कराएं और साथ ही विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सांविधानिक अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस जानकारी को संबद्ध व्यक्तियों तक प्रचार-प्रसार करें और संविधान में अनुष्ठापित इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दें।

सादर।

146/श्री/सी/हिंदी/2021
20/09/21

आपका

अनूप कुमार मेंदीरत्ता

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)